31|8|2019

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, राजमहल।
क्रि0मि0 वाद सं0— 321/2019
प्रथम पक्ष— सुरेश प्रसाद
बनाम
द्वितीय पक्ष— ओम प्रकाश स्वर्णकार वगै0
दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही

आदेश

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जमीन से संबंधित विवाद को लेकर पक्षों के बीच सार्वजनिक शांति भंग की संभावना है। जिससे संतुष्ट होकर वाद की कार्यवाही दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0 नं0	दाग नं0	रकवा	चौहद्दी			
				उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
तीनपहाड़	51/89	22	00—01—16 में से 12 धूर	शिवशंकर स्वर्णकार उर्फ सरला	परमानंद स्वर्णकार के वंशज	काली स्थान	पक्की सड़क

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा तीनपहाड़ के जमाबंदी नं0— 51/89, दाग नं0— 22 का कुल रकवा 01 कट्ठा 16 धूर जमीन खतियान में महादेव राम, पिता— स्व0 जादुराम सोनार के नाम से अंकित है। उक्त वर्णित जमीन आवेदक की खानदानी जमीन है, जो मौजा तीनपहाड के जमाबंदी नं0— 51/89, दाग नं0— 22 का कुल रकवा में से तीन भाईयों के अंश में 12—12 धूर जमीन करके पड़ता है। खतियानी रैयत के पुत्र रामकिशुन स्वर्णकार अपने जीवन काल में अपने अंश का 12 धूर जमीन अपने भाई सीताराम सोनार को दे दिये। इस प्रकार से सीताराम स्वर्णकार के अंश में कुल 24 धूर जमीन पड़ा। इनमें से सीताराम स्वर्णकार के दो पुत्र दयानंद स्वर्णकार व परमानंद स्वर्णकार हुए। इस प्रकार दयानंद स्वर्णकार एवं परमानंद स्वर्णकार के अंश में 12—12 धूर जमीन करके पड़ा तथा खतियानी रैयत के पुत्र नंदकिशोर स्वर्णकार अपने अंश का 12 धूर जमीन अपने जीवनकाल में अपने सगे संबंधी को दे दिये, जो उनके दखल कब्जे में है। आवेदक एवं विपक्षीगण के पिता दयानंद स्वर्णकार के अंश में 12 धूर जमीन पड़ा। उक्त जमीन में पक्के का मकान बना हुआ है। इनमें से चारों भाईयों के अंश में 03—03 धूर करके जमीन पड़ा। दिनांक 24.07.2019 को सुबह करीब 08 बजे विपक्षीगण आवेदक के खानदानी जमीन जो पुरातन पक्के का मकान बना हुआ है और जबरदस्ती छत को तोडना प्रारंभ कर दिये। मेरे अंश में भी मकान उठाना प्रारंभ कर दिये। आवेदक के द्वारा मना करने पर मार—पीट करने पर उतारू हो गये एवं अभद्र भाष का प्रयोग किये, लेकिन विपक्षीगण मकान तोडने व मकान बनाने से बाज नहीं आये और खुले शब्दो में कहते है कि तुमका हिस्सा नहीं देंगें। तुमको जो करना है करा, जबकि उक्त मकान बाजार में है, आगे एक दुकान भी था, जिसे तोडकर विपक्षीगण अपने अनुकूल हिस्सा करके जबरदस्ती आवेदक के अंश में भी मकान बनाना प्रारंभ कर दिये। विपक्षीगण पैसे वाला, दबंग एवं मनबढु किस्म का व्यक्ति है। उक्त जमीन के सभी मूल दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध है। फिर भी विपक्षीगण के द्वारा शांति भंग करने पर अमादा है, जिससे शांति भंग की

Scanned with CamScanner

संभावना द्वितीय पक्ष से बनी हुयी है। अतएव जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष के हित में रिक्त एवं द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किये हैं कि उभय पक्ष आपस में सहोदर भाई हैं। आवेदक सिर्फ परेशान करने की नीयत से झुठ एवं मनगढंत वाद लाये है। वर्णित जमीन आवेदक के दादागण अपने जीवनकाल में ही 12–12 धूर बंटवारा कर भोग दखल करते रहे हैं। खतियानी रैयत महादेव राम के बड़े पुत्र किशोरानंद स्वर्णकार की मृत्यू नावल्द हो गयी। उनके मृत्यूपरांत उनकी पत्नी राम दुलारी देवी ने अपने पति के अंश रकवा 12 धूर जमीन शिवशंकर स्वर्णकार को निबंधित कर दी थी तब से शिवशंकर स्वर्णकार उक्त भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है और अपने नाम से नामांतरण कराकर सरकार को लगान भी देते आ रहे हैं। उभय पक्ष खतियानी रैयत महादेव राम के द्वितीय पुत्र सीताराम स्वर्णकार के वंशज है। सीताराम स्वर्णकार को दो पुत्र नित्यानंद स्वर्णकार एवं परमानंद स्वर्णकार हुए एवं इन दोनों के अंश में 12–12 धूर जमीन प्राप्त हुआ। खतियानी रैयत के तृतीय पुत्र जयशंकर स्वर्णकार की मृत्यू नावल्द हो गयी तब उनकी पत्नी भगवती देवी जमाबंदी रैयत ने अपने जीवन काल में ही अपने अंश की 12 धूर जमीन परमानंद स्वर्णकार की पत्नी रेणु देवी को दे दी। इस प्रकार उभय पक्ष के अंश में मात्र 06 धूर जमीन है। आवेदक के बड़े भाई ओम प्रकाश स्वर्णकार शिक्षक है एवं विपक्षी राजकुमार एवं पारसनाथ छोटे थे और आवेदक अपने पिता का सारा कारोबार देखते थे और आवेदक ने विपक्षीगण से छल कर करीब एक करोड़ रूपया का सम्पत्ति अर्जित कर लिया। आवेदक को जब यह जानकारी मिली की बहन लोग अपने पैतृत सम्पत्ति में हिस्सा लेना चाहती है तब जानबुझ कर दबाब बनाने के लिए झुठा व मनगढंत वाद लाये हैं। दिनांक 14.07.2019 को चारो भाईयों के विवाद को लेकर समाज के गणमान्य लोगों के बीच एक पंचायती हुई थी। बैठक में पैतृक सम्पत्ति के बंटवारा का निर्णय लिया गया था, परन्तु आवेदक व्यवधान उत्पन्न करने के लिए पंच के निर्णय को दरकिनार कर दं0प्र0सं0 की धारा 144 लाये हैं। अतएव जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध सम्पुष्ट करने का प्रार्थना किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल किये गये कारण पृच्छा का अवलोकन किया। मौजा तीनपहाड़ के जमाबंदी नं0– 51/89, दाग नं0– 22 का कुल रकवा 01 कट्ठा 16 धूर में से तीन भाईयों के अंश में 12 धूर जमीन करके पड़ता है। जिसका खतियानी रैयत स्व0 महादेव राम के नाम से दर्ज है।

अतः तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत वाद बंटवारा से संबंधित है। इसका न्यायनिपटारा इस इस वाद के माध्यम से संभव नहीं है। प्रथम पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं। इस निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner